भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2683
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

संघ राज्य क्षेत्रों में आर्थिक विकास

2683. श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्यक्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने संघ राज्यक्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई सकारात्मक पहल की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त पहलों से संघ राज्यक्षेत्रों के लोगों को प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): जी महोदय। सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकेन्द्रित हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के माध्यम से सतत प्रयास किए हैं, जिनमें विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास, सड़क, समुद्री और हवाई संपर्क में वृद्धि, डिजिटल कनेक्टिविटी का संवर्धन, पर्यटन को बढ़ावा देना, शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, शहरी सेवाओं में सुधार, शासन सुधार लाना, व्यापार करने में आसानी, और आजीविका सृजन आदि शामिल हैं । इसका ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) से (ग): सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम आदि योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, यूटिलिटी-स्केल सौर परियोजनाओं का विकास, रूफटॉप सोलर प्रतिष्ठानों का संवर्धन, घरों में सौर को अपनाने को बढ़ावा देना; और अन्य हस्तक्षेप शामिल हैं। इस संबंध में किए गए उपायों और उनसे होने वाले लाभों का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 2683, दिनांक 04.08.2026

अनुलग्नक-I

(i) दिल्ली में यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर और भारत मंडपम जैसी ऐतिहासिक MICE (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) अवसंरचना परियोजनाओं का कार्य पूरा किया गया है।

(ii) जम्मू और कश्मीर में चेनानी-नाशरी सुरंग, जेड-मोड़ सुरंग और उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक, ऐतिहासिक चिनाब रेल पुल जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का कार्य पूरा किया गया है।

(iii) सड़क अवसंरचना में वृद्धि की गई है, जैसे दिल्ली में Urban Extension Road-II (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे का विकास, दिल्ली-देहरादून और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे; और लद्दाख में नए मोटर योग्य पुलों का निर्माण, आदि, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में काफी सुधार हुआ है।

(iv) लद्दाख में हेलीपैड और हैंगरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है ताकि सर्दियों के महीनों के दौरान भी दुर्गम भू-भागों और चिकित्सीय आपात स्थितियों के लिए संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। लक्षद्वीप में हवाई कनेक्टिविटी में दैनिक निर्धारित उड़ानों और सीप्लेन लैंडिंग का सफल परीक्षण के साथ सुधार हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में श्री विजयपुरम और दमण में नमो हवाई अड्डे पर नए हवाईअड्डा टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(v) संघ राज्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीपीय संघ राज्य क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी का काफी विस्तार हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चेन्नई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (CANI) ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) परियोजना और कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह (KLI) सब्मरीन OFC परियोजना ने द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांति ला दी है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा, टेली-मेडिसिन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल बैंकिंग और ई-कॉमर्स सक्षम हो सके हैं। इन पहलों से डेटा लागत में कमी आई है, मोबाइल और इंटरनेट/ब्रॉडबैंड की पहुंच में वृद्धि हुई है, और पूरे द्वीपीय संघ राज्य क्षेत्रों में इंटरनेट टेली-घनत्व और गति में वृद्धि हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैंडविड्थ 4.12 Gbps से बढ़कर 243 Gbps तथा लक्षद्वीप में 1.7 Gbps से बढ़कर 200 Gbps हो गई है।

(vi) पर्यटन को, आर्थिक विकास और आजीविका के अवसरों पर इसके गुणक प्रभाव के कारण, एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, जिससे जीवन के मानक और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सरकार संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन के वैश्विक केंद्रों के रूप में रूपांतरित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 04 इको-

पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए ठेका दे दिया गया है। लक्षद्वीप में बंगाराम में 50 और थिन्नाकारा में 100 टेंट परिचालित हैं; और दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव (DNH&DD) में विश्व स्तरीय समुद्र तट और प्रमुख रिवर फ्रंट तथा टेंट सिटी विकसित किए गए हैं।

(vii) संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने विशिष्ट भूगोल और क्षमता के अनुकूल विभिन्न विशिष्ट (niche) गतिविधियों की पहचान की है और पर्यटन के विभिन्न प्रकार के पारंपरिक और प्रायोगिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में शीतकालीन पर्यटन, लद्दाख में एस्ट्रो पर्यटन (देश में पहला डार्क स्काई रिजर्व हानले में स्थापित किया गया है), लक्षद्वीप में क्रूज पर्यटन, पुदुचेरी में आध्यात्मिक पर्यटन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीपीय संघ राज्य क्षेत्रों में इको-पर्यटन, चंडीगढ़ में पर्यटक सर्किट का विकास आदि। इससे संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(viii) संघ राज्य क्षेत्रों ने समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आजीविका का सृजन करने के लिए अपनी-अपनी Home-stay नीतियों को भी अधिसूचित किया है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय कला और पारंपरिक शिल्प को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि भारत के 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों में से 5 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं, और अधिक समुद्र तटों के ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

(ix) स्वास्थ्य क्षेत्र को भी पर्याप्त बढ़ावा मिला है। AIIMS, जम्मू को परिचालित कर दिया गया है। लक्षद्वीप के सभी बसे हुए द्वीपों में अब टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध हैं। सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिलवासा में 450 बेड वाले नमो अस्पताल और दमन में 345 बेड वाले नमो अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी वृद्धि की गई है।

(x) संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बिजली के स्वच्छ, सस्ते स्रोतों के साथ बिजली की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सौर और जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

(xi) संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की दिशा में भी उपाय किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ औद्योगिक विकास के लिए नई सेंट्रल सेक्टर योजना शुरू की गई है। व्यापक निवेश प्रोत्साहन और single window मंजूरी तंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे संघ राज्य क्षेत्रों में निवेश के माहौल में सुधार हुआ है। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उद्योगों, भूमि आवंटन, स्टार्ट-अप, लॉजिस्टिक्स, MSMEs को बढ़ावा देने आदि से संबंधित नीतियां लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य उपयुक्त प्रोत्साहन, सब्सिडी और अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से व्यवसायों और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इन उपायों के परिणामस्वरूप व्यवसायों को बढ़ावा मिला है और आर्थिक विकास और समृद्धि के

चालक के रूप में संघ राज्य क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है *(आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था)* ।

(xii) उपरोक्त के अलावा, संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। लाइसेंस जारी करने और व्यवसाय से संबंधित अन्य अनुमोदनों की प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की असहिष्णुता नीति के अनुरूप दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए ऑनलाइन सेवा वितरण, डिजिटल प्रोसेसिंग और मंजूरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यमिता, MSMEs, मत्स्य पालन, पर्यटन और अन्य आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। सेवा वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और ई-गवर्नेंस को और मजबूत किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी अनूठी ताकत और संसाधनों के आधार पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए कुछ प्राथमिकता वाले आर्थिक क्षेत्रों की भी पहचान की है, जैसे कि blue economy विकसित करना, क्षेत्रीय ज्ञान/IT/चिकित्सा केंद्रों में बदलना, आदि।

(xiii) पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों के लिए की गई व्यापक विधायी और नियामक पहलों के रूप में, आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक 21 उपायों को संसाधित किया गया, जिसमें 19 विनियम, विधेयक या कानूनों का विस्तार और वैधानिक शक्तियों के दो प्रत्यायोजन (delegation) शामिल थे। इनमें कराधान, श्रम विनियमन, स्टांप शुल्क और पंजीकरण, कृषि विपणन, खनिज विकास, मत्स्य पालन, उत्पाद शुल्क, सार्वजनिक सेवा वितरण और व्यापार सुविधा से संबंधित कानून शामिल हैं। इन उपायों ने कर और नियामक ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर, प्रक्रियात्मक देरी और मामूली आपराधिक अनुपालन को कम करके, व्यवसाय से संबंधित सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करके, व्यापार और संपत्ति लेनदेन को सुविधाजनक बनाकर और श्रम और क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन का आधुनिकीकरण करके संघ राज्य क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए सक्षम वातावरण को मजबूत किया है। सामूहिक रूप से, वे अनुपालन लागत को कम करते हैं; नियामक निश्चितता में सुधार करते है; निवेश और उद्यम को प्रोत्साहित करते हैं; रोजगार सृजन का समर्थन करते हैं; और, स्थानीय आर्थिक संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को सक्षम करते हैं। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रावधानों के विनियमन और गैर-अपराधीकरण का दो-आयामी दृष्टिकोण भी अपनाया गया है।

(xiv) रोजगार सृजन और कौशल विकास सरकार का प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है। युवाओं के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), स्टार्टअप इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, पीएम मुद्रा योजना आदि जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 2683, दिनांक 04.08.2026

अनुलग्नक-II

(i) संघ राज्य क्षेत्र पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय और सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए केंद्रीय सब्सिडी के अलावा सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर प्लांट को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्थापित किया जा रहा है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपशिष्ट-से-ऊर्जा पहल भी की गई है।

(ii) संघ राज्य क्षेत्रों में स्वच्छ और sustainable सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, FAME, पीएम ई-ड्राइव आदि जैसी विभिन्न पहलों के तहत इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है।

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों ने इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय/सौर ऊर्जा आदि के संबंध में नीतियों को अधिसूचित किया है, जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र DNH&DD की नवीकरणीय ऊर्जा नीति, 2024, दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023। इन नीतियों में तथा सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकारी योजनाओं के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

(iv) सरकारी भवनों को solarise करने पर विशेष ध्यान देने के साथ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित सौर क्षमता को बढ़ाया गया है। जैसे कि चंडीगढ़ तथा DNH&DD ने सभी व्यवहार्य सरकारी आवासीय और कार्यालय भवनों की 100 प्रतिशत रूफटॉप सौर कवरेज हासिल कर ली है। संघ राज्य क्षेत्रों ने इस संबंध में कई अन्य पहल भी की हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर में जनजातीय आबादी के बीच धुआं रहित बायोमास कुकस्टोव का वितरण।

(v) उपर्युक्त ऊर्जा पहलों के परिणामस्वरूप संघ राज्य क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न लाभ हुए हैं, जैसे, स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली की उपलब्धता में वृद्धि; रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के माध्यम से घरों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए बिजली व्यय में कमी; पारंपरिक fossil ईंधन पर निर्भरता में कमी और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार; अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण आदि में स्थानीय रोजगार के अवसरों का सृजन । इन सभी कारकों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करते हुए घरों, स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और सामुदायिक सुविधाओं के लिए बिजली तक पहुंच बढ़ाने के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है।
